प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

उद्देश्य:

- इस योजना का उद्देश्य स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करना है।
- ग्रामीण एवं बेरोजगार युवाओं के साथ-साथ भावी पारंपिरक कारीगरों के लिए स्थायी एवं निरंतर रोजगार के अवसर पैदा करना तथा इस
 प्रकार व्यावसायिक पलायन को रोकना।

मुख्य लाभ

- गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण से जुड़ी सब्सिडी कार्यक्रम।
- विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी परियोजना लागत के 15% से 35% तक
 और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये तक है।
- विशेष श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/अल्पसंख्यक/पूर्व सैनिक/ट्रांसजेंडर/आकांक्षी जिले/एनईआर के लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है।
- विशेष श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/मिहला/अल्पसंख्यक/पूर्व सैनिक/ट्रांसजेंडर/आकांक्षी जिले/एनईआर के लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है।

योजना निम्नलिखित के लिए लागू है:

• 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है।

विस्तार में जानकारी:

सामान्य श्रेणी के मामले में लाभार्थी का अपना अंशदान परियोजना लागत का 10% है और विशेष श्रेणी

(एससी/एसटी/ओबीसी/पीएच/महिला/पूर्व सैनिक/ट्रांसजेंडर/आकांक्षी जिले/एनईआर) के लाभार्थियों के मामले में परियोजना लागत

का 5% है।

यदि ऋण के लिए आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो बैंक लाभार्थियों द्वारा इकाई स्थापित करने के लिए कुल परियोजना लागत का 90

से 95% शेष राशि स्वीकृत और जारी कर देते हैं।

योजना के अंतर्गत स्थापित परियोजनाओं/इकाइयों की स्थिरता बनाए रखने के लिए कार्यशालाओं, लाभार्थियों को ईडीपी प्रशिक्षण,

प्रदर्शनियों आदि जैसे आयोजनों के माध्यम से बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज के रूप में सहायता सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं।

भारत सरकार ने आवेदनों के प्रवाह और वित्तपोषण शाखाओं को सीधे मार्जिन मनी के वितरण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है।

ई-पोर्टल पर व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र अनिवार्य है। आवेदन पत्र/पीएमईजीपी एमआईएस पोर्टल मोबाइल फ्रेंडली है।

प्रत्येक चरण पर सिस्टम या संबंधित अधिकारियों द्वारा आवेदकों को स्वचालित रूप से एसएमएस/ई-मेल अर्लर्ट भेजे जाते हैं।

ई-पोर्टल पर व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र अनिवार्य है। आवेदन पत्र/पीएमईजीपी एमआईएस पोर्टल मोबाइल फ्रेंडली है।

प्रत्येक चरण पर सिस्टम या संबंधित अधिकारियों द्वारा आवेदकों को स्वचालित रूप से एसएमएस/ई-मेल अलर्ट भेजे जाते हैं।

देश में एमएसएमई के पंजीकरण को बढ़ाने के लिए, सरकार ने पीएमईजीपी इकाइयों के लिए उद्योग आधार ज्ञापन (युएएम)/उद्यम

पंजीकरण को अपनाने के उपाय किए हैं।

कैसे को आवेदन करना:

आवेदन करना पर: https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome